राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3)

[ग-3)

जयपुर, दिनांक :

.11 JUL 2017

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/पार्ट-1/80830/2015 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा समस्त राजस्थान।

विषय :- ए.बी.पी.एस. कन्वर्जन के लिए कैम्प आयोजित किये जाने बाबत। संदर्भ :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 01.07.2017 महोदय,

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2017 को Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 में किये गये संशोधन के अनुसरण में बैंक खाते को दिनांक 31.12.2017 तक आधार नंबर से जोड़ा जाना अनिवार्य है, अन्यथा बैंक खाता ऑपरेशनल नहीं रहेगा। इस संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजना के भुगतान हेतु संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षरों से महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के खाते को आधार नंबर से जोड़े जाने के संबंध में विस्तृत दिशा—निर्देश दिनांक 01.07.2017 को जारी किये गये है (प्रति संलग्न)। जारी उक्त निर्देशों के अनुसरण में निम्नानुसार कार्यवाही आपके स्तर से समयबद्ध कार्यकम के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है:—

- 1. ग्राम पंचायत / पंचायत समिति स्तर पर दिनांक 25.07.2017 से 10.09.2017 के मध्य विशेष कैम्प का आयोजन किया जाना है। यह कैम्प यथा संभव अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित किये जावे। इन कैम्प के लिए कलैण्डर बनाया जाकर नरेगा सॉफ्ट पर दिनांक 20.07.2017 तक अपलोड किया जावे।
- 2. आयोजित किये जाने वाले कैम्प में नरेगा Functionaries, बैंक के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा आधार enrolment की व्यवस्था के साथ फोटोकॉपी की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से की जानी है।
- 3. महात्मा गांधी नरेगा योजना के ऐसे लामार्थियों जिनके आधार नंबर की सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में नहीं की गई है, आधार नंबर का लिंकेज बैंक खाते के साथ नहीं किया गया है, जिन्होंने आधार नंबर के लिए अभी तक enrolment नहीं कराया है, को प्रोत्साहित कर कैम्प में आवश्यक रूप से भाग लिया जाना सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रचार-प्रसार तथा घर-घर सम्पर्क की व्यवस्था अभी से प्रारम्भ कर दी जावे।
- 4. कैम्प के दौरान भारत सरकार के पत्र के साथ संलग्न सहमित पत्र जिसका हिन्दी रूपान्तरण भी इस पत्र के साथ संलग्न है, दो प्रतियों में लाभार्थी से प्राप्त किया जाना है। सहमित पत्रों की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां कैम्प में आवश्यक रूप से उपलब्ध रखी जावे। चाहे तो यह सहमित पत्र पूर्व में ही लाभार्थी को दिये जा सकते है, तािक लाभार्थी कैम्प में सहमित पत्र जमा कराना सुनिश्चित कर सके। सहमित पत्र के साथ लाभार्थी के आधार नंबर की प्रति मय लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के सत्यािपत संलग्न किया जाना भी अनिवार्य है।
- 5. आधार कार्ड एवं बैंक खाते में लाभार्थी का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग की एकरूपता अनिवार्य है। किसी प्रकार के अंतर होने की स्थिति में, संबंधित दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड

अथवा बैंक खाते में परिवर्तन किया जाना वांछनीय है। तद्नुसार कार्यवाही कैम्प के दौरान कराई जावे।

- 6. प्राप्त दो सहमित पत्रों में से एक विभाग के रिकॉर्ड में रखा जावेगा तथा दूसरा संबंधित बैंक प्रितिनिधि को कैम्प के दौरान ही दिया जायेगा। इसकी सूचना नरेगा सॉफ्ट पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिवस तक प्रविष्ट की जावेगी। इसके अलावा सहमित पत्रों का ब्रांचवार विवरण एल.डी.एम. को भी दिया जायेगा।
- 7. प्राप्त उक्त सहमित पत्रों के आधार पर बैंक द्वारा आधार लिंकेज की कार्यवाही की जायेगी एवं इसकी मॉनीटरिंग एल.डी.एम. के माध्यम से जिला स्तर पर तथा बैंक प्रतिनिधि के साथ में ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी। एक सप्ताह के दौरान कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
- 8. महात्मा गांधी नरेगा योजना के शत प्रतिशत active workers का आधार लिंकेज की कार्यवाही इन कैम्पों के दौरान किया जाना अनिवार्य है।

· कृपया उक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक रूप से संपादित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(रोहित कुमार) सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- 1. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 3. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
- 4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
- 5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद जोधपुर/बाडमेर।

6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

M-12014/2/2015-MGNREGA-V (344637)

Government of India

Ministry of Rural Development (Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi Dated: 1st July 2017

To:

1. The Principal Secretary / Secretary in charge of MGNREGA

All State/UT Governments and UT Administrations

- The Chairman / Managing Director
 of all Public Sector Banks and Private Sector Banks as per attached list
- 3. The Convener, SLBC All States/UTs

Sub: MGNREGS-camps for seeding of Aadhaar in the accounts of MGNREGS workersfor Direct Benefit Transfer (DBT)—regarding

Sir/Madam,

In terms of the amendments made to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, *vide* Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), notification no. G.S.R. 538(E), dated 1.6.2017, in case the accountholders of accounts existing prior to the date of notification fail to submit to the bank their Aadhaar number by 31.12.2017, their accounts shall cease to be operational till the time the Aadhaar number is submitted by the accountholder.

- 2. Therefore, for continued DBT to MGNREGS workers whose accounts are not seeded with Aadhaar number, it is essential that their accounts be seeded with their Aadhaar number, with their consent, latest by 31.12.2017. As per data available with MoRD, the number of such active MGNREGS workers is over 5 crore. To enable such a large number of workers to seed Aadhaar numbers in their accounts, a round of camps is planned, beginning from 25.7.2017, till 10.9.2017.
- 3. In this connection, it may also be noted that in the video-conference chaired by Secretary (Coordination & PG), Cabinet Secretariat, Government of India with State Chief Secretaries on 21st& 22nd June 2017, regarding implementation of DBT in States, State Governments have been requested to expedite the process of seeding of Aadhaar numbers in beneficiary bank accounts.
- 4. In carrying out this exercise, the following may be taken note of:
 - (a) MGNREGS workers may be mobilised to special camps at the Gram Panchayat or Block level. During the camps, necessary information regarding seeding Aadhaar number in the bank account may be provided and consent of the workers for seeding obtained. The acknowledgement of receipt of consent may also be ensured.

- (b) Indian Banks' Association, *vide* their attached communication, has circulated among banks a form for obtaining consent of accountholders for seeding Aadhaar number in their account and written consent of the accountholders in the same may be ensured.
- (c) The Standard Operating Procedure (SOP) issued *vide* letter of even number, dated 14.3.2017, of the Ministry of Rural Development (MoRD), co-signed by Joint Secretary, Department of Financial Services, should be followed.

(d) The calendar for these camps should be uploaded on the MGNREGA MIS (NREGASoft) by **20.7.2017**. Provision for this has been enabled in NREGASoft.

Enclosure: as above

(Amit Agrawal) Joint Secretary

Department of Financial Services

(Aparajita Sarangi)

Joint Secretary (MGNREGA) Ministry of Rural Development

Copy, with enclosure, to:

- 1. Secretary, Government of India, Department of Rural Development
- 2. Secretary, Government of India, Department of Financial Services
- 3. Director General and Mission Director, Unique Identification Authority of India
- 4. Joint Secretary, Government of India, Cabinet Secretariat (DBT Mission)
- 5. Finance Secretary, all State/UT Governments and UT Administrations
- 6. Commissioner (In charge of MGNREGA) of all State/UT Governments and UT Administrations
- 7. Chief Executive, Indian Banks' Association, with the request to communicate this to the remaining banks

List of private sector banks addressed

- 1. ICICI Bank
- 2. HDFC Bank
- 3. Axis Bank
- 4. Yes Bank
- 5. IDFC Bank
- 6. RBL Bank
- 7. IndusInd Bank
- 8. Federal Bank
- 9. Kotak Mahindra Bank
- 10. Karur Vysya Bank
- 11. South Indian Bank
- 12. City Union Bank
- 13. Lakshmi Vilas Bank

From: Ashish Gupta [mailto:ashish@iba.org.in]

Sent: 13 April 2017 19:04

To: Public Sector Banks; Private Sector Banks; Foreign Banks; Co-operative Banks; Regional Rural Banks
Cc: unni@iba.org.in; k.ramachandran@iba.org.in; vikash@iba.org.in; pooja.s@iba.org.in; agautam@iba.org.in
n; ceo@npci.org.in; aphota@npci.org.in; pushpinder.singh@npci.org.in; sumanlata.goyal@uidai.net.in;ashok
.singh69@nic.in

Subject: Aadhaar Seeding in Multiple Banks Accounts

Dear Sir/Madam,

Aadhaar Seeding in Multiple Banks Accounts

Please refer to our e-Mail dated 20/03/2017 the forwarding the format for seeding Aadhaar.

In this connection, based on suggestion for UIDAI the format has been slightly modified and modified version is enclosed. This format can be used for getting consent from customer for Aadhaar seeding.

In new accounts to be opened

In all existing accounts

For seeding mobile number

For seeding e-Mail id (where provided)

The same for can be used at the branch or can be collected from the BC or V.O/B.D.O with authorization from the customer.

Please arrange to get customer consent in this format only

Ashish Gupta
Manager- Banking Technology
Indian Banks' Association,
World Trade Centre Complex,
Centre 1, Cuffe Parade,
MUMBAI – 400005

Ph: +91-22-22174044

APPLICATION FOR LINKING AADHAR NUMBER TO BANK ACCOUNT and CONSENT FOR AADHAAR BASED AUTHENTICATION

To

The Branch Manager,	Date:		
Bank			
Branch			
I(nam	e of the account holder) /S/w/d/OR/O wish to link		
my Aadhaar number to my proposed /	Existing bank account number.		
	etter are as under: (self-attested copy enclosed)		
Aadhaar / UID number Name of the Aadhaar Holder as in Aa	lhaar Card		
2. I hereby state & undertake that I	have no objection in authenticating myself with Aadhaar based Authentication		
	system and hereby give my voluntary consent as required under the Aadhaar Act 2016 and Regulations frame		
thereunder for seeding my Aadhaan	number to my bank account & to provide my identity information (Aadhaar		
	mographic information) for Aadhaar based authentication for the purpose of		
availing of the banking services inclu any other facility relating to banking	ding operation of account & for delivery of subsidies, benefits and services or operations.		
3. I hereby give my voluntary consent	in seeding my Aadhaar Number to all my existing bank accounts and to my		
customer profile.			
i. Account Number 1:	ii. Account Number 2:		
iii. Account number 3:	iv. Account Number 4:		
4 I hereby authorise to use my lin	ked Aadhaar enabled bank account for receiving Government payment across		
	other payment using the Aadhaar based information and NPCI may MAP my		
primary account in the Aadhaar Mapp	er of NPCI.		
5. (Tick (√) only one from below for h	NPCI Mapper for getting DBT benefits)		
o Map my account no.	at NPCI to enable me to receive Direct Benefit Transfer(DBT) from		
	e account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me, I		
will receive all Benefit Transfers o I already have an account with a	nother bank linked to Aadhaar and only that will be used for NPCI mapper		
	Transfer from Government of India.		
I further request you to register my sent to this mobile number. Please also	mobile number to my above account number. SMS alerts may be register my email-Id:		
7. I have been explained about the na	ture of information that may be shared upon authentication. I have been given to		
	itted to the bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned		
above, or as per requirements of law.			
8. I hereby declare that all the above	nformation voluntarily furnished by me is true, correct and complete.		
Yours faithfully			
	Fif concent cont through PC/PDO/VOI		
	[if consent sent through BC/BDO/VO]		
(Signature/Thumb Impression of custo	omer) oI hereby authorise the Banking Correspondent		
Name	o I hereby authorise the Sarpanch/		
Fathers / Spouse Name:	V.O./B.D.O./		
Account Number:	to submit the above consent letter to the bank.		
Address of the customer:			
Branch Name: Bank Name'			
Bunk I wille	(Signature/Thumb Impression of customer)		
	(Signature Literio Impression of easterner)		

	- - - - - - - - - - - - - -	दिनांक
	शास्रा	
1	में	
	(स्राताधा	रक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि/पतिमेरे प्राम्वानिस्टर्समान
	बक खाता को आधार नम्बर से लिंक कराना	स्क को नाम) पुत्र/पुत्रा/पात्न/पातमेरे आधार नम्बर को मेरे प्रस्तावित/वर्तमान चाहती/चाहता हुँ। आधार/यू.आई.डी. नम्बर (स्वप्रमाणित
आधार	7 3.0113.81. 614613	
आधार	नार्य का आवार कींड के अनुभाग नाम	
2	प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अ नियम प्रतिनियम के तहत मेरे आधार नम्बर	आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए अपने आपको १। धार अधिनियम २०१६ तथा इसके तहत बनाये गये को भेरे बैंक एकाउन के गांध नोस्ते तथा सेरी
	बैंकिंग सेवा मय खाते को चालू रखने तथा सिद्ध संचालन से संबन्धित अन्य सविधाओं के उपयोग	सूचना तथा जन्म मृत्यु से संबन्धित जानकारी) को सडी प्राप्त करने, लाभ तथा अन्य सेवाएं अथवा बैंकिंग ग हेतु आधार आधारित प्रणाली के लिए अपनी स्वयं
3	कर इच्छा स सहमात प्रदान करता हूं। मैं मेरे सभी वर्तमान में संचालित सभी खातों ।	र्ग अपनी गाइक पोफाइन के निए मेरे आधार नस्टर
	खाता संख्या (1)	ा करता हूँ जिनका विवरण निम्नानुसार है :- खाता संख्या (२)
•	खाता संख्या (३)	खाता संख्या (४)
, ž	में मेरे आधार से जुड़े बैंक खाते को किसी भी और/अथवा कोई भी अन्य आधार आधारित सू	स्कीम के राजकीय भुगतान जिसके लिए मैं योग्य ह् बना से भुगतान के लिए उपयोग में लेने के लिए
	किया जा सकता है।	मिक खाते को एनपीसीआई के आधार मैपर से मैप
	एनपीसीआई मैपर द्वारा डी.बी.टी. लाभ प्राप्त करव	ने के लिए निम्न में से किसी एक को सही (🗸) क
	० कृपया मेरा खाता संख्या	को भारत सरकार से किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष
	लाभ हस्तान्तरण (डी.बी.टी.) को मेरे खाते में	िप्राप्त करने के लिए एनपीसीआई से मैप <mark>करने क</mark> मैं एक से अधिक लाभ हस्तान्तरण <mark>के लिए योग्य ह</mark>
	तो मुझे सभी लाभ हस्तान्तरण इसी खाते से	
C	 मेरा अन्य बैंक खाता आधार से जुडा हुआ भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के 	है एवं केवल वही खाता एनपीसीआई मैपर पर तथ िलए उपयोग में लिया जायेगा।
-		क्त स्नाता संख्या से जोडे जाने का भी आग्रह करत
ξ		अलर्ट प्रेषित किये जा सकते हैं। कृपया मेरा ई–मे
म् व	नुझे, ऐसी समस्त सूचना सामग्री के बारे में, जि हे बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है।	न्हें, प्रमाणीकरण के पश्चात साझा किया जा सकता मुझे यह अवगत कराया गया है कि इस आवेदन
		न के अनुसार वांछित कार्यो के अतिरिक्त अन्य का
	ह लिए उपयोग में नहीं ली जायेगी।	
में	ं यह घोषणा करता हूँ कि उक्त सभी जानकार	री मेरे द्वारा रवैच्छिक रूप से दी गयी है एवं सत
स	ही तथा पूर्ण है।	
प्रा	र्धी	(यदि सहमति बी.सी./बी.डी.ओ./ग्राम सचिव माध्यम से दी गयी है।)
(ग्र	ाहक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)	० में बी.सीको प्रमापि
ना	ਸ ·	करता हूँ।
पित	ता∕पति का 'नाम	० में सरपंच/बी.डी.ओ./ग्राम सचिव
खा	ता संख्या	को प्रमाणित करता हूँ।
ग्राह	इक का पता	
		A CONTROL OF THE CONT
बैंक	का नाम	(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)